:: महानिदेशालय कारागार राजस्थान,जयपुर ::

क्रमांक/कर्म.कल्याण/ /13430-530 दिनांकः–4/6/18

समस्त उप महानिरीक्षक कारागार रेंज,
समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभाराधिकारी,
राजस्थान कारागार के कार्यालय, राजस्थान।

विषय –: मकान किराया भत्ता दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के द्वारा श्रीमान महानिदेशक महोदय के द्वारा राजस्थान कारागार विभाग की समस्त कारागृहों/कार्यालयों में कार्यरत विभागीय कर्मचारियों को, जो कि राजकीय आवास (सिर्फ क्वार्टर्स) में निवास कर रहे है को छोडकर लाईन में प्रहरी बैरक में अथवा अन्यत्र रह रहे हो को नियमानुसार मकान किराया भत्ता भुगतान किये जाने बाबत लिखा गया था।

उक्त के बावजूद कई कार्मिकों के प्रकरण आ रहे है कि उन्हें मकान किराया भत्ता नहीं दिया गया है जबकि उनके निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र भरकर प्रस्तुत कर दिया गया था।

अतः निर्देशानुसार संलग्न मकान किराया भत्ता प्रमाण पत्र कार्मिक से भरकवाकर आपके स्वयं के द्वारा प्रमाणितकरण के पश्चात 01 जुलाई तक आवश्यक रूप से मुख्यालय को अवगत करवाया जावे। यदि किसी कार्यालय कर्मी द्वारा जानबूझ कर कर्मचारी के आवेदन पत्र पर कार्यवाही नहीं की जा रही है तो भविष्य में उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही कर अवगत करावे। आपके कार्यालय/अधीनस्थ उप कारागृहों के सभी कार्मिकों से प्रपत्र मय प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

4/6/18
(महेश चन्द्र बैरवा)
अधीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपी–: कन्ट्रोल रूम प्रभारी/कम्प्यूटर लैब प्रभारी को वास्ते अपलोड किये जाने की कार्यवाही ।

अधीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

मकान किराये भत्ते के संबंध में विवरण

नाम कर्मचारी– –
पिता का नाम –
पद – बैल्ट नं
कारागृह –
मकान किराया कार्यालय में जमा –
कराये जाने का दिनांक
आहरण एवं वितरण/कार्यालयध्यक्ष –
कार्यालय का नाम
(उप कारागृहों वाले कार्मिक संबंधित जिला कारागृह जहां वेतन आहरित किया जा रहा हो, का नाम अंकित करें)
संबंधित लिपिक/अधिकारी का नाम –
जिससे आवेदन करने के 15 दिन
बाद सम्पर्क किया गया हो

मैं पद प्रमाणित करता हूॅ कि मैं वर्तमान में राजकीय आवास (क्वार्टर में) में नहीं रह रहा हूॅ तथा प्रहरी बैरक/लाईन में निवास कर रहा हूॅ। तथा मैने उपरोक्त तिथि को अपना मकान किराया भत्ता स्वीकृत करने का आवेदन अधीक्षक/उपाधीक्षक, केन्द्रीय/जिला कारागृह को दिनांक को पेश कर दिया था। लेकिन मुझे आदिनांक (यह प्रमाण पत्र आवेदन करने की दिनांक तक)मकान किराया भत्ता नहीं दिया गया है।

दिनांक–

हस्ताक्षर
(नाम आवेदक कर्मचारी)
पद–

प्रमाणिकरण

कार्यालय,अधीक्षक/उपाधीक्षक,केन्द्रीय/जिला कारागृह—————————
क्रमांक दिनांक

मैं– पद– अधीक्षक/उपाधीक्षक/कार्यालयध्यक्ष यह व्यक्तिगत रूप से प्रमाणित करता हूॅ कि उक्त आवेदन पत्र मुझे/मेरे कार्यालय में दिनांक को प्राप्त हो गया है/प्राप्त नहीं हुआ है, और अब मैं इस पर आदेश जारी कर चुका हूॅ/ दिनांक तक जारी कर कर्मचारी को सूचित कर दॅूगां।
मेरे द्वारा गलत सूचना दिये जाने पर मेरे विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है जिसका मैं व्यक्तिशः जिम्मेदार होउंगा।

हस्ताक्षर
(स्पष्ट नाम अधिकारी)
स्पष्ट रबर सील सहित